



# लोन सम्बन्धित आवश्यक सूचना

## निर्देश :-

- अगुंठा लगाने वाले सदस्य को ऋण सुविधा नहीं है।
- एक ही परिवार के कई सदस्य बनने पर गारन्टी/साक्षी अन्तः परिवार की देनी पड़ेगी।
- गृहिणी (हारुस वाईफ) अधिकतम ऋण 25,000/- रुपये है।
- (6) माह पुरानी सदस्यता होने पर निम्नतम ऋण सुविधा प्रारंभ की जाएगी।
- दिल्ली राज्य से बाहर की सदस्यता स्वीकार्य नहीं है।

## लोन लेते समय निम्न दस्तावेज संगलग्न करें।

- लोन फार्म एवं बॉन्ड फार्म पूरा भरा हुआ स्वीकार किया
- नोमनी का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा।
- फोटो पासपोर्ट साईज - 1
- सभी सदस्यों का 20,000/- रु. से अधिक लोन पर लोन बीमा
- चैक हस्ताक्षर सहित - 3
- गारन्टर को अपने आधार कार्ड की फोटो प्रतिलिपि हस्ताक्षर सहित
- बैंक खाते का प्रुफ (फोटो कॉपी पास बुक की) प्रथम पेज एवं आखिरी सत्यापन या बैंक स्टेटमेंट।
- गारन्टर को कार्यालय में आ कर हास्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
- आधार कार्ड/पैन कार्ड/बिजली का बिल की फोटो कॉपी हस्ताक्षर सहित लगायें एवं गांव या किसी रिस्तेदार का पहचान
- कम से कम एक गारन्टर का अपना मकान होना
- आय प्रमाण पत्र (कोई भी एक) सेलरी स्लीप/ओफर लेटर/कम्पनी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र/आई.टी.आर. या 10/-रु. का

## गवाही देने के लिए निम्नलिखित नियम

- गवाह, का सोसाईटी में खाता कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए।
- गवाह, परिवार का एक ही मेम्बर बन सकता है।
- गवाह, ने अगर किसी की गारन्टी ली है तो उस मेम्बर की किस्त रेगुलर जमा होनी चाहिए नहीं तो गारन्टी नहीं चलेगी।

## लोन कब नहीं मिलेगा

- अगर मेम्बर सी. डी. डिफाल्टर है।
- अगर मेम्बर, गारन्टर डिफाल्टर है।
- अगर मेम्बर की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है।
- बच्चों को लोन नहीं मिलेगा।
- अगर मेम्बर, इन्वेस्टर खाता धारक है तो भी लोन नहीं

## आवश्यक निर्देश :-

- ऋण फार्म पूरा भरा जाए। कटिंग और फ्लूड मान्य नहीं है।
- ऋण आवेदक और गारन्टर यदि किरायेदार हैं तो दोनों गारन्टी में से एक मकान मालिक सदस्य या सरकारी नौकरी वाले से होनी चाहिए।
- एक ही परिवार के दोनों गारन्टर नहीं होने चाहिए।
- दोनों गारन्टरों का गारन्टी करते समय उनके शेयर मनी और CD में 10% जमा होना अनिवार्य है और सी.डी. का भुगतान नियमित रूप से आनी चाहिए। लोनर को लोन लेने से पहले अपने खाते में CD और शेयर मनी 10% करना अनिवार्य है।
- हारुस वाईफ एवं अगुंठा लगाने वाले सदस्य का गारन्टी मान्य नहीं है।
- ऋण फार्म पर सभी सूचनाएं सत्यता के साथ भरें। गलत सूचना देने पर ऋण फार्म निरस्त हो समता है।
- सदस्यता 6 माह पुरानी होने पर ऋण फार्म जारी किया जायेगा।